

समाहरणालय, मुंगेर
मुंगेर-811201
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक- 60 (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-26.10.16 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101 अनुग्रहित राहत उप शीर्ष-0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड एन0 2245021010003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0-4.00(चार) लाख रुपये आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को निम्न प्रकार उपावटित किया जाता है। मांग संख्य 39, सहायक अनुदान-3102 वेतनादि के आलावा अन्तर्गत

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	उपावटित राशि
1	अंचल अधिकारी, बरियारपुर	4.00 (चार लाख) रुपये
	कुल योग	4.00 (चार लाख) रुपये

अंचल अधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि निम्न सर्पदंस से मृतक के आश्रित को नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान पुर्ण जाचोपरान्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0	मृतक का नाम एवं पूरा पता	मृत्यु की तिथि	आश्रित का नाम एवं संबंध	अनुग्रह अनुदान की देय राशि
1	2	3	4	5
1	स्व0 उषा देवी, पति - कम्पनी सिंह, ग्राम-चौद टोला, कल्याणटोला (बरियारपुर)	31.08.2016	कम्पनी सिंह, प0-स्व0 जहुरी सिंह, चौद टोला	4.00 लाख

- आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1642/आ0प्र0, दिनांक-22.04.2016 द्वारा निर्गत निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form- 42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form- 42A में आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर में निर्धारित समय सीमा में भेजा जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचुक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा कर दिया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।
- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अग्रिम राशि का प्रत्यापन दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।


ज्ञापांक 666 / आ0प्र0, दिनांक 31/10/16


प्रतिलिपि:- आवंटन की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-60(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक- 26.10.2016 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


31/10/16
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।


31/10/16
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।